प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 10.11.2025

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सुशील कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री सर्व दवन सिंह** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 423/2025 धारा 108, 352 बीएनएस मे वाँछित अभियुक्त सोनू पुत्र राजकुमार निवासी मेड़रापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को बखिरा पक्षी विहार गेट बखिरा सहजनवा मार्ग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 07.11.2025 को थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र दिया कि वादिनी की पुत्री संगीता की शादी अभियुक्त सोनू उपरोक्त से हुयी थी, अभियुक्त सोनू उपरोक्त आये दिन अपनी पत्नी (वादिनी की पुत्री) से वाद विवाद करता, मारपीट करता और बच्चों से मिलने नही देता था। दिनाँक 02.11.2025 को भी अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी (वादिनी की पुत्री) को बुरी तरह मारा पीटा गया तथा आत्महत्या के लिए उकसाया गया। दिनाँक 04.11.2025 को मुझे सूचना मिली की मेरी बेटी फंदे से लटकी हुयी है। मुझे आशंका है कि अभियुक्त ने अपने भाई के साथ मिलकर मेरी पुत्री की हत्या कर दी है या मेरी पुत्री ने आत्महत्या कर ली है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 10.11.2025 को घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, का0 प्रवेश यादव, का0 सूरज रावत।

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना मेंहदावल*** पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 01.अब्दुल हकीम पुत्र मो0 शफीक उर्फ जोखन निवासी तुनिहवा 02. नन्दलाल पुत्र रामचन्दर निवासी बरईपुर 03. राजेश्वर पुत्र परदेशी गौड़ निवासी हरपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह,हे0का0 मोतीलाल यादव, का0 चन्दन यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6005 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6005 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत छितरापार से कालर द्वारा बाइक चालक के नशे की स्थिति में पोल से टकरा जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.कमलेश पुत्र राम अचल ग्राम डुमरिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 भरत कुमार सोनी, हो0चा0 उमेश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 328 वाहनों से 3,14,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 10.11.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 328 वाहनों से 3,14,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा व एसओजी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 11 किलो 700 ग्राम अवैध गाँजा के साथ गाँजा तस्कर को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा ***श्री अरविन्द शर्मा* व प्रभारी निरीक्षक एसओजी *श्री अजय सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान अभियुक्त सदरे आलम पुत्र जमालुद्दीन निवासी मदारपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 10.11.2025 को छपिया छितौना मोड़ के पास से 11 किलो 700 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सदरे आलम पुत्र जमालुद्दीन निवासी मदारपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 391/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 11 किलो 700 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल-

01.प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री अरविन्द शर्मा, उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह, हे0का0 उदयभान यादव, का0 अमरजीत यादव।

02. प्रभारी निरीक्षक एसओजी श्री अजय सिंह, हे0का0 बृजकिशोर सिंह, हे0का0 विवेक कुमार राय, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 दीपक सिंह, का0 शुभम कुमार, का0 वीरबहादुर यादव, का0 विवेक मिश्रा, का0 अरुण कुमार हलवाई।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 6000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 10.11.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000-3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक- 01.05.2006 को वादी श्री राम बुझारत विश्वकर्मा पुत्र पूर्णमासी विश्वकर्मा निवासी लोहरौली मिश्र थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के साथ प्रतिवादीगण 01. हरेराम पुत्र जयकरन 02. निरंकार पुत्र हरेराम निवासीगण लोहरौली मिश्र थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा जमीनी विवाद को लेकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 63/2006 धारा 323, 504,506 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

सजा विवरणः-

उक्त मामले में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323/504/506 भा0द0वि0 में न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000-3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 30-30 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 10.11.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक- 16.06.2005 को वादी श्री आस मोहम्मद पुत्र वाजिद अली निवासी कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के साथ प्रतिवादी पप्पू खां पुत्र अब्दुल मजीद निवासी कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 90/2005 धारा 323, 504,506 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

सजा विवरणः-

उक्त मामले में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323/504/506 भा0द0वि0 में न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।